न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र सं. 08/2018

उनवान

राजस्थान सरकार जरिये श्री भागचन्द गुर्जर प्रर्वतन निरीक्षक, अजमेर।

................प्रार्थी

बनाम

1.श्री भागीरथ सिंह पुत्र श्री भॅवर सिंह राजपुरोहित निवासी– मेवाडिया रोड, ज्योति नगर, पींसागन जिला–अजमेर। ....अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्रीमति रेणुका चतुर्वेदी प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

आदेश

दिनांकः– 05.06.2018

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 19.02.2018 को जिला रसद अधिकारी, अजमेर (द्वितीय) के नेतृत्व में प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अप्रार्थी के जोधपुर मिष्ठान भण्डार के गोदाम पर खाद्य सामग्री बनाने का व्यवसाय किया जाता है, जिसे तैयार करने में ईंधन के रूप में घरेलू गैस सिलेण्डर उपयोग में लिया जा रहा था वक्त जांच 1 घरेलू गैस सिलेण्डर भट्टी पर लगा होना तथा एक सिलेण्डर उसके पास रखा हुआ पाया गया। विवरण सिलेण्डर :–

:–क0सं	सिलेण्डर सं0	नाम कम्पनी	G.T.(Kg)	T.W. (Kg)	N.W. (Kg)
1.	377984	इन्डेन घरेलू	25.5	16.6	8.9
2.	27584	इन्डेन घरेलू	21.5	16.2	5.3

घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक कार्य में दूरूपयोग एल.पी.जी. (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000 के क्लाज 3 (1) (सी) का उल्लघंन है। अतः 2 घरेलू सलेण्डर एवं 01 गैस भट्टी 01 रेगूलेटर तथा एक पाईप को राजहित में कब्जेराज लेकर बरकत अली पुत्र अनवर अली कार्मिक मैसर्स पींसागन इण्डेन गैस सर्विस को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत् जब्त शुदा 2 घरेलू सलेण्डर एवं 01 गैस भट्टी 01 रेगूलेटर तथा एक पाईप को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी उपस्थित आये, जवाब नोटिस प्रस्तुत किया। सुनवाई चाहने पर उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 19.02.2018 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

व्यवसायिक दूरूपयोग एल.पी.जी. ऑर्डर 2000 के क्लाज 3 (1) (सी) का उल्लघंन है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः कब्जेराज लिये गये 2 घरेलू सलेण्डर एवं 01 गैस भट्टी 01 रेगूलेटर तथा एक पाईप को धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत् राजसात फरमाया जावें।

अप्रार्थी ने अपने जवाब नोटिस के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा अपने घरेलू उपयोग हेतु दो घरेलू गैस सिलेण्डर अपने गोदाम पर लाकर रखे थे, जिन्हें अपने घर पर घरेलू उपयोग हेतु ले जाना था, परन्तु उससे पूर्व ही प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा इन्हे जब्त कर लियें गये। प्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर हमेशा वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर का ही उपयोग किया जाता है, वक्त निरीक्षण जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर, अप्रार्थी द्वारा घर के उपयोग हेतु गैस भरवाने के लिए मंगवाये गये थे जो अप्रार्थी के व्यवसाय स्थल पर रखे थे। अतः प्रकरण का निस्तारण कर अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त फरमानें की कृपा करावें।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। चूंकि अप्रार्थी द्वारा जवाब में ऐसे कोई आधारभूत कथन, दस्तावेजी साक्ष्य, सबूत के नही किये गये है, जो प्रार्थना पत्र कथनों का खण्डन करते। वक्त जांच उनके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग अपने व्यवसायिक स्थल पर किया जाना पाया गया है। इससे उपरोक्त अवैध कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, तथा कब्जेराज लिये गये 2 घरेलू सलेण्डर एवं 01 गैस भट्टी 01 रेगूलेटर तथा एक पाईप को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत् राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 05.06.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(आरती डोगरा)
जिला कलक्टर
अजमेर